मिलों को एथेनॉल के कम दाम

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एथेनॉल की कीमत तय करने के एक नए तरीके को मंजूरी दी है, जिससे एथेनॉल के दाम 1 से 1.5 रुपये प्रति लीटर घटेंगे। यह एथेनॉल तेल विपणन कंपनियां चीनी कंपनियों से खरीदती हैं।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा सीजन 2016-17 में चीनी कंपनियों को एथेनॉल की चुकाई जाने वाली कीमत 39 रुपये प्रति लीटर तय की गई थी, जिसमें कर और शुल्क शामिल नहीं थे। यह कीमत 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2017 तक आपूर्ति किए जाने वाले एथेनॉल की होगी। सीजन 2016-17 एक अक्टूबर से शुरू हुआ है।

उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट) या वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन खर्च तेल विपणन कंपनियां वहन करेंगी। इससे पहले ये खर्च चीनी कंपनियां या एथेनॉल आपूर्तिकर्ता वहन करते थे। सरकार ने वर्ष 2014 में तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए एथेनॉल के दाम 48.5 से 49.5 रुपये प्रति लीटर तय किए थे, जिनमें राज्यों या केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर और शुल्क भी शामिल थे। इसका मतलब था कि चीनी कंपनियों को एक्स-फैक्टरी कीमत 40.5 से 41 रुपये प्रति लीटर मिल रही थी। कुछ राज्यों ने एथेनॉल पर अतिरिक्त कर दिया था और कुछ मिलों की वास्तविक कीमत प्राप्ति 42 रुपये प्रति लीटर तक हो गई थी। आज के फैसले से ऐसी कंपनियों की कीमत प्राप्ति में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी।

लेकिन चीनी उद्योग के सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2015-16 में करीब 70 फीसदी एथेनॉल की आपूर्ति 40.5 से 41 रुपये प्रति लीटर की दर पर की गई थी। सीसीईए के फैसले के बाद तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'एथेनॉल की कीमत खुले बाजार में चीनी की उस समय की कीमत और मांग-आपूर्ति की स्थिति के आधार पर तय की जा रही है।' उन्होंने कहा, 'चीनी मिलों को कभी 48.50 रुपये कीमत नहीं मिली। यह 42 रुपये थी। यह कीमत (48.5 रुपये) उत्पाद शुल्क, वैट एवं अन्य शुल्क और परिवहन लागत समेत थी। तेल विपणन कंपनियों के लिए पेट्रोल में 10 फीसदी एथेनॉल मिलाना जरूरी है।

भारतीय चीनी मिल संघ के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'यह सुनिश्चित किया गया है कि जीएसटी का भार तेल कंपनियां वहन करेंगी, जिससे जीएसटी दरों को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है। हालांकि सरकार को जून 2015 में घोषित उत्पाद शुल्क छूट का लाभ एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को देने के तरीके ढूंढने चाहिए, जिसे अगस्त 2016 में वापस ले लिया गया था।'

सीसीईए के कुछ अन्य प्रमुख फैसले

- भारतीय निर्यात-आयात बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और ब्रिक्स देशों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच समझौता
- जम्मू में 61.90 करोड़ रुपये की लागत से एक भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना और परिचालन। यह राशि 2016 से 2020 तक के चार शुरुआती वर्षों के लिए है।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के पश्चिम अंसारी नगर और आयुर्विज्ञान नगर के परिसरों में आवासीय कॉलोनियों का फिर से विकास
- जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर हंगरी के साथ करार

- द्विपक्षीय कारोबार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए रूस के साथ समझौता
- झारखंड में साहिबगंज बाइपास और बिहार में मणिहारी बाइपास के बीच एक नई सड़क का निर्माण। इसमें गंगा पर चार लेन के पुल का निर्माण भी शामिल है। इसकी लागत 1,954.77 करोड़ रुपये अनुमानित है

Business Standard
14-10-16